(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 02/2024

बउनवान

धनराज सुमन पुत्र स्व. श्री गोपीलाल सुमन जाति माली निवासी बमोरी रोड, वार्ड नं. 05, अंता तहसील अंता जिला बारां(राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 26.02.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.12.2023 को सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, द्वितीय तल विकास खण्ड शासन सचिवालय, जयपुर को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आवेदन पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप विधि परामर्शी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा पत्रांक 11466 दिनांक 13.12.2023 से उपखण्ड अधिकारी, अंता को हस्तांतरित किया गया। आवेदन पत्र के माध्यम से चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 29.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 134–135 दिनांक 30.01.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 134–135 दिनांक 30.01.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/सू.का अ./2024/107–108 दिनांक 21.02.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन जरिये श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर से उनके कार्यालय को दिनांक 19.12.2023 को प्राप्त हुआ था जिसमें अपीलार्थी द्वारा मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी। उनके कार्यालय में संधारित रेकार्ड अनुसार वर्ष 2008, 2013 की प्रमाणित प्रतियां तैयार कर उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 11.01.2024 से जरिये डाक अपीलार्थी को भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा उनके कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को भिजवा दी गई है तथा इस जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता एवं अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ